(3)

Form no. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

हनुमान (फौत) जरिये पाना आदि बनाम पुराराम आदि

किस्म मुकदमाः—अपील प्र0सं0ः— 06/2023 जीसीएमएस न.—2023/6

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
18.11.2024	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन करने से पाया कि प्रार्थी पूराराम ने स्वयं उपस्थित होकर फार्म न. 3 के साथ दस्तावेजात राजीनामा पेश किया हुआ है। उक्त राजीनामा पर सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर/अगूंठा निशान अंकित है। चूंकि उक्त उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो चुका है, अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ अपीलाधीन खाता विभाजन आदेश दिनांक 13.08.2007 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए तथा राजीनामा को ध्यान में रखते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। उभय पक्ष दिनांक 16.12.2024 को तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष पेश होवे। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सूतगढ़ को पालनार्थ/आवश्यंक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (कन्हैया लाल सोनगरा) अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ, जिला श्री गंगानगर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.11.28 18:10:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner